

4.7.16

पत्रावली अन्तर्गत लोक अदालत में  
 दिनांक 17.8.16 के आदेशों के  
 अन्तर्गत नवीन प्रार्थी के स्वयं उपस्थित  
 होकर निवेदन दिया कि वे इस <sup>आदेश</sup> को  
 लागू चलाना नहीं चाहते हैं बल्कि प्रार्थी  
 को <sup>अपनी</sup> प्रार्थना के कारिका विधिगत  
 नवीन प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पर  
 कारिका विधिगत जाता है। पत्रावली  
 में प्रमाण श्रुति होकर नमक से कर  
 होगा

उपखण्ड अधिकारी  
 दानारामगढ़

Not Pages  
 attached  
 [Signature]